



# राजस्थान विश्वविद्यालय

## जयपुर

क्रमांक: शैक्षणिक-द्वितीय/2020/

दिनांक: 23/06/20

सभी शैक्षणिक पी.जी. विभागाध्यक्ष, 34944

राजस्थान विश्वविद्यालय,

जयपुर।

विषय:- ऐसे छात्र/छात्राओं जिन्होंने ऑनलाईन फॉर्म में ट्यूशन फीस में Non-Income Tax Payer की छूट प्राप्त करने की घोषणा भरने के सन्दर्भ में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार निवेदन कर लेख है कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार पी. जी. सेमेस्टर-तृतीय में रिएडमिशन के फार्म ऑनलाईन भरवाये जा रहे हैं फार्म के साथ ही एक निम्न घोषणा-पत्र भी अपलोड किया हुआ है :-

### Declaration for students claiming Non-Income Tax Payer concession in fees

"I am ward of Non-income tax payer, for which, I will produce the original Income Tax certificate of my parents as and when the Department opens for study. Further, I also undertake that if any ambiguity is found in the fees so deposited by me, I will deposit the balance fee to the University otherwise University is authorised to cancel my admission".

Signature of Applicant

जिन छात्र/छात्राओं ने फीस में रियायत प्राप्त करने के लिये घोषणा पत्र भरा है उन छात्र/छात्राओं से जब भी विभाग में पढ़ाई शुरू हो तो उनसे अभिभावकों का आय प्रमाण-पत्र लेकर जो फीस छात्र/छात्रा ने जमा कराई है उसे सत्यापित करें। अगर किसी छात्र/छात्रा ने फीस को कम जमा करवाया है तो उससे balance फीस भी विश्वविद्यालय खाते में जमा करवाया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

CO

कुलसचिव

क्रमांक: शैक्षणिक-द्वितीय/2020/34945-50

दिनांक: 23/06/20

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेश, इन्फोर्मेशन, राठौर, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।

2. निजी सचिव, माननीय कुलपति, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।

3. निजी सहायक, कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।

Raj / Jais  
उप कुलसचिव 23/06/20  
(शैक्षणिक-द्वितीय)